



**बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल-1, दरभंगा

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2015-16/ई-टेन्डर

(केवल ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

1. कब्रिस्तान धेराबंदी कार्य। (गृह विशेष विभाग)

शुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रुपये में)	अग्रधन की राशि (लाख रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रुपये में)	बीड प्रोसेसिंग सुल्क (केवल ऑनलाईन मोड में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	जाले प्रखंड अंतर्गत जाले पश्चिमी पंचायत के महथा पोखर के पास शेख मुहल्ला कब्रिस्तान धेराबंदी कार्य।	26,06,616.00	52500.00	5000.00	1124.00	4 माह
2.	जाले प्रखंड अंतर्गत जाले पश्चिमी पंचायत में कुरैशी टोला कब्रिस्तान का धेराबंदी कार्य।	41,48,800.00	83000.00	5000.00	1124.00	4 माह

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि : दिनांक- 31.07.2015
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक- 17.08.2015 से 23.08.2015 को 3.00 बजे अपराह्न तक ।
(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 24.08.2015 को 3 बजे अपराह्न तक । (सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
5. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 26.08.2015 को 3.30 बजे अपराह्न से ।
(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
6. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा दाद में सूचित की जायेगी ।
(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
7. निविदा खोलने का स्थान : सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर
8. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन

9. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना आवश्यक है, जिससे उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password) एवं अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) प्राप्त होगा। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा ।

10. ई-निविदा मात्र वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है ।

11. (i) परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा के पदनाम से निर्गत हो तथा जो भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य भाखा-दरभंगा में भुगतान हो, को स्वीकार किया जायेगा । मूल बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, दरभंगा/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना के कार्यालय में दिनांक 25.08.2015 को 3.00 बजे अपराह्न तक जमा किया जाना है । ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा ।

(ii) अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक फिक्स डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/डाकघर का बचत पासबुक एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा पासबुक/राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड/राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित कर अथवा एक करोड़ से अधिक के कार्य के लिए शर्तारहित बैंक गारन्टी जो बिड के मान्य अवधि के 45 दिनों बाद तक के लिए वैध हो एवं बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत किया जाना होगा), इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1 दरभंगा /अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल - दरभंगा, /मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना

एवं विकास विभाग, विशेषश्वरैया भवन, पटना के कार्यालय में दिनांक 25.08.2015 को 3.00 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(III) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(IV) बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट / डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन ई एफ टी / आर टी जी एस के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

आवश्यक ऑनलाईन भुगतान के साथ बीड, इस निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित तिथि एवं समय से पहले

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eproc.bihar.gov.in पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इन्टरनेट कनेक्शन, नेटवर्क ट्रैफिक / अवकाश (छूटिट्यौ) या अन्य किसी भी कारण से हुए विलम्ब / निविदा सबमिट (submit) नहीं होने / ऑनलाईन के रीकनसिलिएशन (Reconciliation) नहीं होने की स्थिति के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

("Bid processing fee is mandatory to be paid through online mode i.e. internet payment gateway (credit /debit card ,) Net banking , NEFT/RTGS")

"Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay /non-availability of internet connection network Traffic /Holidays or any other reason")

12. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
14. संवेदक स्कैन पर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/ visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
15. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
16. बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12.00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि www.eproc.bihar.gov.in का लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए सर्वर डाउन होने की स्थिति में निविदा डालने की तिथि स्वतः अगले दिन के लिए निर्धारित समय तक विस्तारित हो जाएगी।
17. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु सहायता कक्ष -प्रथम तल्ला, प्लॉट नं0 एम 22 बैक ऑफ इंडिया कम्पाउण्ड, रोड नं0 -25, श्री कृष्णानगर, पटना -800001 से दुरभाष संख्या 9939035696 एवं 0612-2523006 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
19. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
20. (i) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।
(ii) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के वावजूद, कोई संवेदक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे यदि :-
(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।
(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो, या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय-सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो।
(iii) पार्टनरशिप डीड में अंकित कोई पार्टनर, कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निर्बंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पदधारक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निर्बंधित संस्था निविदा में भाग लेने का पात्र नहीं होगी।
21. निविदा दर प्रस्ताव के साथ तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/वांछित सूचनाओं पृष्ठ संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) होना चाहिए।
(i) अग्रधन

- (क) अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक फिक्स डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/डाकघर का बचत पासबुक एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा पासबुक/राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बॉण्ड/राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित कर अथवा एक करोड़ से अधिक के कार्य के लिए शर्तरहित बैंक गारन्टी जो बिड के मान्य अवधि के 45 दिनों बाद तक के लिए वैध हो एवं बिहार में अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत हो स्वीकार किया जायेगा। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत किया जाना होगा) जमा किये जाने वाले अग्रधन की राशि /परिमाण विपत्र के मुख्य का डिमांड ड्राफ्ट एसकेन कर अपलोड करना होगा। इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा /अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा /मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना के कार्यालय में दिनांक 25.08.2015 को 3.00 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
- (ख) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
- (ii) पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/विहार राज्य पुल निर्माण निगम में उचित श्रेणी में निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- (iii) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।
- (iv) पैन कार्ड की प्रति।
- (v) वाणिज्यकर/वैट निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।
- (vi) अद्यतन श्रम विभाग निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
- (vii) संवेदक को Bid Amount का कम से कम 25 % invest करने का शपथ पत्र।
- (viii) संवेदक के अधीन चल रहे कार्यों एवं लम्बित कार्यों की राशि सहित सूची। यदि कोई कार्य नहीं चल रहा हो अथवा कोई कार्य लम्बित नहीं हो तो इस आशय का शपथ पत्र/घोषणा पत्र
- (ix) घोषणा का शपथ पत्र (एक सौ पाँच रुपये का टिकट)मूल में अग्रधन की राशि /परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ कंडिका 21 (i) में उल्लेखित कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक आशय जमा किया जाना है।
- "मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-
- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर Rescind नहीं किया गया है।
- (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य हैं।
- उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार, मेरे/हमारे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे/हमारे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।"
- (X) समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराये गये कार्यों का कार्यपालक अभियंता के स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।
- (xi) अभियंत्रण संगठन का पूर्ण ब्योरा जिसमें योग्यता प्राप्त अभियंताओं का संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव व पर्याप्त संख्या में तकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ की पूर्ण विवरणी के साथ संवेदक (नियोजन कर्ता) तथा नियोजित अभियंता का प्रति शपथ-पत्र एवं नियोजित अभियंता के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।
- (xii) कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा संवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों के उपलब्ध कराने का शपथ-पत्र एवं जिस व्यक्ति/फर्म जिससे यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरण प्राप्त किया जा रहा हो का प्रति-शपथ-पत्र तथा उसके अधीन यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।
- (xiii) समरूप कार्य का कार्यपालक अभियंता स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति।
- (xiv) विगत पाँच वर्षों में से किन्ही तीन वर्ष का Chartered Accountant द्वारा ऑडिटेड वार्षिक टर्न ओवर की फोटो प्रति।

22. प्रतिशत दर निविदा

(क)कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए ।

(ख) अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional performance Guarantee)परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदकों से एकरारनामा के पूर्व 5% पाँच प्रतिशत जमानत की राशि (security deposit) के अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional performance Guarantee)निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जायेगी

(i)परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर :-0.25% Additional performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत ।

(ii)परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत कम उद्धृत दर :-0.5% Additional performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत ।

उदाहरण स्वरूप :-

(a)3% कम दर के लिए अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional performance Guarantee):-3x0.25 अर्थात 0.75%

(b)7% कम दर के लिए अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional performance Guarantee):-5x0.25+2x0.5=2.25%

(c)परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम उद्धृत दर के लिए 5x0.25+5x0.5=3.75%

23. सिर्फ तकनीकी बीड उपर्युक्त कंडिका 5 में उल्लेखित तिथि एवं समय पर खोला जायेगा । तकनीकी बीड का मूल्यांकन गठित मूल्यांकन अंक तालिका के आधार पर किया जायेगा एवं तदनुसृत तकनीकी बीड में योग्य पाये जाने वाले संवेदक/संवेदकों का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा ।

24. तकनीकी बीड के मूल्यांकन में उसी यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों के विरुद्ध अंक दिया जायेगा जो स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/विहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी से निविदा तिथि के छः माह पूर्व की अवधि में भौतिक रूप में सत्यापित होंगे । ऐसी स्थिति नहीं होने पर यंत्र संयंत्र (गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उपकरणों के साथ) का सत्यापन निविदा प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को सूचना देकर करना होगा । सूचना देने के बाद भी जो संवेदक भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं करेंगे उनकी मशीनों/उपकरणों के विरुद्ध कोई अंक नहीं दिया जायेगा और यह माना जायेगा कि मशीन/उपकरण उनके पास उपलब्ध नहीं है ।

25. निविदा निष्पादन

- (i) उपर्युक्त कंडिका 21 के (i) से (ix) में से कोई कागजात Up-load नहीं करने एवं आवश्यक अग्रघन की राशि/ परिमाण विपत्र का मुल्य एवं धोषणा का शपथ पत्र मूल में निर्धारित अवधि तक जमा नहीं करने की स्थिति में उसके तकनीकी बीड पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- (ii) मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा (निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत) संलग्न अंक तालिका के आधार पर जॉचोपरान्त तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया जायेगा । मूल्यांकन में न्यूनतम अहर्ता प्राप्तांक 60 प्रतिशत निर्धारित है । इससे कम अंक प्राप्त करने वाले संवेदकों के वित्तीय बीड पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- (iii) तकनीकी बीड में सफल संवेदक/संवेदकों का वित्तीय बीड खोला जायेगा । जिसके लिए तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी ।
- (iv) परिमाण विपत्र में वर्णित राशि से 10(दस) प्रतिशत से कम की निवेदित दर अमान्य होगी ।
- (v) वित्तीय बीड खोलने के उपरान्त सफल न्यूनतम दरवाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी ।
- (vi) निविदा में सफल एकाधिक संवेदको से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही आवश्यकतानुसार दर-प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।

26. एकरारनामा

- (i) रू 25 लाख से अधिक एवं रू 200 लाख तक की निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण संहिता के प्रपत्र एफ-2 (कंडिका-23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा । रू 200 लाख से अधिक की योजनाओं का एकरारनामा Standard Bidding Document पर किया जायेगा ।
- (ii) एकरारनामा करने के उपरांत मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा ।
- (iii) अविलम्ब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट उसके आकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियन्ता के निदेशों का पालन करना होगा ।

27. भुगतान की प्रक्रिया

- (i) कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य के दौरान यथा प्रत्येक विपत्र के साथ तथा कार्य समाप्ति के उपरांत, संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी संवेदक को स्वयं करानी होगी एवं उसकी सी०डी० सम्बंधित सहायक अभियंता के माध्यम से प्रमंडल में जमा करानी होगी जिसे निर्धारित वेबसाइट पर प्रत्येक विपत्र के समय अपलोड किया जायेगा अन्यथा इसके अभाव में कार्य का भुगतान रोक दिया जा सकता है ।

- (ii) आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा । इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा ।
- (iii) आवंटन उपलब्ध रहने पर विशिष्टियों के अनुरूप कृत कार्य का भुगतान निकासी एवं व्ययनन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार निश्चित रूप से करेंगे ।

28. अन्य शर्तें

- (i) निविदा में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा । विशेष परिस्थिति को छोड़कर, अवधि विस्तार की स्वीकृत नहीं दी जायेगी ।
- (ii) संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी ।
- (iii) संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र-सयंत्रों, गुण-नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा ।
- (iv) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 80/100 ग्रेड पैकड बिटुमेन (समकक्ष विस्कोस्टी ग्रेड के) अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा । बिटुमेन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनीयों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घण्टों के अंदर कैंस मेमो संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा ।
- (v) संवेदकों को आवंटित कार्य से संबंधित सामग्रियों के क्रय का प्रमाणक जिसमें उनकी विशिष्टि का स्पष्ट वर्णन हो, समर्पित करना होगा, अन्यथा भुगतान रोक दिया जा सकता है ।
- (vi) दस्तावेजों की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी, द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा
- (vii) ओभर हेड मद के अंतर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण-सह-स्थल-कार्यालय का निर्माण, बिजली, पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जाएगा ।
- (viii) अनुमानित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है । अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी ।
- (ix) दर के संबंध में और कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
- (x) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
- (xi) सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्ही कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा । इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
- (xii) संवेदकों को कार्य समाप्ति के पश्चात तीन वर्षों तक कार्य का रख-रखाब एवं त्रुटियों के निराकरण की जिम्मेदारी होगी । इसके लिए विभाग कोई अलग से भुगतान नहीं करेगा ।

यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा ।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा

ज्ञापक :-3164

दिनांक -31.07.2015

प्रतिलिपि:-

5(पाँच) अतिरिक्त प्रतियों एवं सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में लगातार तीन दिनों तक प्रकाशनार्थ समर्पित ।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा

ज्ञापक :-3164

दिनांक -31.07.2015

प्रतिलिपि:-

मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, चतुर्थ तल विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल - दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित ।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा

ज्ञापक :-3164

दिनांक :-31.07.2015


प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, दरभंगा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।
एन0 आई0 सी0 दरभंगा को आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित ।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा

ज्ञापक :-3164

दिनांक -31.07.2015

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा / वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित ।


कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा